कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

// निविदा आमंत्रण सूचना //

क्र. ..../बा.वि./न.नि./2016 रायपुर, दिनांक ..../02/2016

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा के अंतर्गत नीचे दर्शित चिल्हर बाजार/पार्किंग की वसूली **01 अप्रैल 16 से 31 मार्च 2017** तक के लिए बंद लिफाफे में **दिनांक** 02.03.2016 तक स्पीड़ पोस्ट के माध्यम से निविदाएं समूहवार आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार/संस्था निर्धारित अवधि में निविदा रायपुर शहर के किसी भी डाक घर के माध्यम से रायपुर में **02.03.2016** को कार्यालयीन अवधि तक प्रस्तुत/जमा करा सकते है निविदा हेतु चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग आदि का समूह व आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है :–

निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर समूह का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावें। निविदा समूह में ही स्वीकार किया जावेगा, समूह में सम्मिलित बाजारों का पृथक–पृथक निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

समूह क्र.	बाजार/पार्किंग का नाम एवं समूह	स्थल का विवरण	बाजार लगने का दिन	निविदा खोलने का दिनांक व समय	आफसेट दर	अमानती राशि 10 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
अ	मोहबा बाजार	रोड़ पर लगता है।	बुध, रवि	**5.3.2016** सायं 04 बजे	205000	20500
	चंदैनीडीह बाजार	रोड़ पर लगता है।	शुक्रवार			
	अटारी बाजार	पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान	सोमवार			
	सरोना बाजार	प्रा. स्कूल के पास पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल	गुरूवार, रविवार			
ब	कबीर नगर बाजार	रोड़ पर लगता है।	मंगल, शानि	––"––	520000	52000
	गोगांव बाजार	पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान	बुधवार, रविवार			
	सोंनडोंगरी बाजार	पंचायत भवन के पास निर्धारित स्थान	सोमवार, गुरूवार			
	हीरापुर बाजार	स्कूल के पास पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान	सोमवार, शुक्रवार			
	अशोक नगर बाजार	निर्धारित स्थल पर	मंगल, शुक्रवार			

1	2	3	4	5	6	7
स	नंदीचौक टिकरापारा बाजार	निर्धारित रोड़ पर	प्रतिदिन	**5.3.2016** सायं 04 बजे	302000	30200
	शहीद भगत सिंह टिकरापारा	निधारित स्थान पर				
	पंडरी बाजार	रोड़ पर लगता है।	प्रतिदिन			
द	भाठागांव बाजार	पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान	प्रतिदिन	——''——	1185000	118500
	शीतला मंदिर+टुरी हटरी+मंगल बाजार	रोड़ पर लगता है।	प्रतिदिन मंगल बाजार मंगल एवं शुक्रवार			
इ	खमतराई बाजार	पूर्व निर्धारित स्थान	मगलवार,शुक्रवार	——''——	1445000	144500
	भनपुरी बाजार	पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान	बुधवार, रविवार			
	मोवा बाजार	रोड़ पर लगता है।	प्रतिदिन			
फ	राम नगर बाजार	कर्मा चौक से दुर्गा मंदिर तक रोड़	प्रतिदिन	——''——	612000	61200
	गंज बाजार	सुबह संजय चौक शाम गंज मंडी	प्रतिदिन			
	कोटा	रोड पर लगता है।	शुक्रवार			
क	तेलीबांधा बाजार	पुराना कांजी हाऊस के पास रोड़ पर	प्रतिदिन	——''——	635000	63500
	न्यू राजेन्द्र नगर बाजार	रोड़ पर लगता है।	प्रतिदिन			
	अमलीडीह	रोड़ पर लगता है।	प्रतिदिन			
	जोरा	निर्धारित स्थल पर	शानिवार			
ख	डंगनिया बाजार	पूर्व निर्धारित स्थल पर लगता है।	प्रतिदिन	——''——	931000	93100
	चंगोरा भाठा बाजार	पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान	बुधवार, रविवार			
	रायपुरा बाजार	रोड पर निर्धारित स्थान	प्रतिदिन			
ग	तरूण बाजार (संतोषी नगर)	रोड पर निर्धारित स्थान	प्रतिदिन	——''——	612000	61200
	मठपुरैना बाजार	रोड पर निर्धारित स्थान	प्रतिदिन			
	शीतला दाई (कुशालपुर)	नगर निगम चबुतरा	प्रतिदिन			

1	2	3	4	5	6	7
घ	टाटीबंध बाजार	भारत माता स्कूल के सामने	सोम, गुरू	**5.3.2016** सायं 04 बजे	300000	30000
	टाटीबंध बस्ती	निर्धारित स्थल	मंगल, शनि			
च	आमासिवनी बाजार	रोड़ पर लगता है।	बुधवार,रविवार	––''––	122000	12200
	कचना	पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल	बुधवार, शनिवार			
	खम्हारडीह बाजार	रोड पर निर्धारित स्थान	प्रतिदिन			
	सड्डू बाजार	पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल	प्रतिदिन			
छ	आमापारा बाजार+ मछली चबूतरा (शीतला चौक से लेकर)	निर्धारित बाजार स्थल सड़क चबुतरा सहित	प्रतिदिन आबंटित चबुतरा छोड़कर	––''––	125000	12500
ज	शास्त्री बाजार चिल्हर सब्जी बैठकी	निर्धारित स्थान पर	प्रतिदिन 520 चबूतरा को छोड़कर	––''––	4200000	420000
	शास्त्री बाजार प्रवेश शुल्क वसूली	निर्धारित स्थान पर	प्रतिदिन			

पार्किंग :—

समूह क.	**पार्किंग का नाम**	**निविदा खोलने का दिनांक**	**आफसेट दर**	**अमानती दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
अ	शास्त्री बाजार सायकल स्टैण्ड	**5.3.2016** सायं 04 बजे	2030000	203000
	सिंधी बाजार पार्किंग			
ब	नया बस स्टैण्ड सायकल स्टैण्ड पार्किंग	––''––	250000	25000
स	जवाहर बाजार पार्किंग	––''––	2300000	230000
	विवेकानंद सरोवर सायकल स्टैण्ड पार्किंग			
द	बुढ़ातालाब के पास सुलभ शौचालय के बाजू पार्किंग	––''––	250000	25000
इ	गुढ़ियारी पड़ाव	––''––	1150000	115000
फ	गांधी मैदान पार्किंग	––''––	700000	70000

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

प्रति,

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा के अंतर्गत चिल्हर सब्जी बाजार/ पार्किंग **(01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)** हेतु हमारी निविदा निम्नानुसार है :–

1.	चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह का नाम	:–	....
2.	आवेदक का नाम एवं पता दूरभाष नं. सहित	:–	....
3.	धरोहर राशि की बैंक डीडी	:–	अमानती राशि ....
	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रस्तुत की जाये।	:–	बैक का नाम एवं डीडी क्र. .... दिनांक ....
4.	प्रस्तुत निविदा की दर	:–	रूपये .... शब्दों में ....
5.	ठेका अवधि		दिनांक (**01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक**)

मैंने नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा बतायी गयी सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है तथा सभी शर्ते मुझे स्वीकार है। निगम की कोई राशि बकाया नहीं है।

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर व नाम

---

6. निविदाएं निर्धारित प्रारूप में भर कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर शहर स्थित किसी भी डाक घर के माध्यम से रायपुर में दिनांक **02.03.2016** को कार्यालयीन अवधि तक जमा की जा सकेगी। निविदाए **05.03.2016** को सायं **4.00** बजे मुख्य कार्यालय बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष खोली जावेगी।
7. प्रत्येक निविदा के साथ उस चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किग समूह के लिए निर्धारित धरोहर/अमानती राशि की बैक डीडी आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना होगा।
8. प्रत्येक चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किग समूह के लिए पृथक–पृथक निविदा जमा करना होगा।
9. निविदाएं आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
10. निविदा के नियम व शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी बाजार विभाग, नगर पालिक निगम रायपुर मुख्य कार्यालय में तथा वेब साईड **www.nagarnigamraipur.nic.in** से प्राप्त की जा सकेगी। ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक** के लिए होगी।

11. लिफाफे के ऊपर चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह का नाम एवं दर दाता का नाम पूर्ण पता सहित होना चाहिए।

12. जिस दर दाता द्वारा अमानती राशि की डीडी निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफे में नहीं पायी जायेगी। वह निविदा अस्वीकार की जावेगी।

13. चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह को निगम द्वारा वित्तीय वर्ष **2016–17** में यदि कहीं पर व्यवस्थापित किया जाता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

14. समय–समय पर निगम की जो शर्तें/नियम संशोधित होंगे या किसी कारण वश ठेका अवधि संशोधन की जायेगी दर दाता को मान्य करना होगा।

15. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर आयकर की टी.सी.एस. (TCS) टैक्स की राशि (ठेका राशि का 02 प्रतिशत) ठेका राशि के साथ ठेका राशि के अतिरिक्त एक मुश्त जमा कराना होगा।

16. निविदा (बंद लिफाफा) में बाजार/पार्किंग समूह का नाम निविदादाता का नाम लिखकर आयुक्त नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय रायपुर के पते पर प्रेषित करें।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम रायपुर में प्रचलित/संचालित चिल्हर सब्जी बाजार/ पार्किंग के नीलामी नियम एवं शर्तें

// वित्तीय वर्ष 2016–17//

1. प्रत्येक चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र समूहवार धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के** लिए
2. निविदा निर्धारित प्रारूप में स्वच्छता से भरा जावे कांट–छांट होने पर निविदा अस्वीकार की जा सकेगी।
3. निविदा बंद लिफाफे में दी जावेगी तथा लिफाफे के ऊपर चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह का नाम अवश्य ही लिखा जावे।
4. चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह वसुली की दरें निम्नानुसार होगी :–

(A) **शास्त्री बाजार सायकल स्टैण्ड की वसूली की दरें निम्नानुसार है :–**

1.	साइकिल	02/–रू.
2.	मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल	05/–रू.
3.	कार, जीप,आटो, रिक्शा, ठेला	10/–रू.

(B) **जवाहर बाजार पार्किंग की वसूली दरें :–**

1.	साइकिल	02/–रू.
2.	मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल	05/–रू.
3.	कार, जीप,आटो, रिक्शा, ठेला	10/–रू.
4.	मेटाडोर/ट्रेक्टर	60/–रू.
5.	ऑटो ट्राली	40/–रू
6.	बैल गाड़ी	20/–रू.
7.	ट्रक/बस	100/–रू.

(C) चिल्हर प्रति सब्जी बैठकी दर साईज (5X4) वर्गफूट — 04/–रू. प्रति बैठकी

5. ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक** के लिए होगी, किन्तु निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तो को शिथिल कर सकेंगे। निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर ठेके की राशि एक मुश्त जमा करना होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा कर अनुबंध का निष्पादन स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित ठेकेदार निगम आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। निगम आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

8. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शाई गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित ठेकेदार को जमा कराना होगा तत्पश्चात् ही उनकी अपील पर विचार होगा।

9. चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह का निरीक्षण नगर निगम के महापौर / सभापति / आयुक्त / उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी (बाजार)/बाजार निरीक्षक कभी भी कर सकते है। एवं स्थल में उनके द्वारा दिये गये निर्देश/सुझाव का पालन ठेकेदार को करना होगा।

10. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा यदि इसके अतिरिक्त कोई और प्रवेश करना चाहे तो उसे 200/— शुल्क जमा करना होगा। तदुपरांत ही उसे प्रवेश दिया जावेगा।

11. ठेकेदार जिन पर निगम की कोई राशि बकाया हो उनकी निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

12. यह कि निविदादाता को शासन/नगर पालिका निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

13. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर किसी भी समय निविदा/अनुंबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा निगम द्वारा अगले ही दिन विभागीय तौर पर पार्किंग की वसूली की जावेगी। विभागीय वसूली में प्राप्त राशि ठेका राशि से कम प्राप्त होने पर अंतर/कम राशि की वसूली संबंधित ठेकेदार से नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 के तहत वसूली की जावेगी।

14. निविदाएं स्वीकृत करने/नियम एवं शर्तो को शिथिल करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिका निगम रायपुर को होगा।

15. निविदाएं निविदा खुलने के नियत तिथि/समय के पूर्व स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य डाक घर रायपुर में दिनांक **02.03.2016** को कार्यालयीन समय तक जमा की जावेगी। निविदा प्रपत्र के साथ ठेका समूह हेतु निर्धारित अमानती राशि की बैंक डीडी आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम बनाकर प्रस्तुत करना होगा। एवं निविदा लिफाफा के ऊपर चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह का नाम एवं दरदाता का नाम पूर्ण पता सहित लिखना आवश्यक होगा।

16. चिल्हर सब्जी बाजार/पार्किंग समूह को निगम द्वारा वित्तीय **वर्ष—2016—17** में यदि कहीं पर व्यवस्थापित किया जाता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। एवं ठेका संचालित अवधि तक की ही राशि देय होगी।

17. यह कि निविदाकर्त्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

18. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर आयकर की टी.डी.एस. (TDS) टैक्स की राशि (ठेका राशि का 02 प्रतिशत) ठेका राशि के साथ ठेका राशि के अतिरिक्त एक मुश्त जमा कराना होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर